2018 पत्रावली पेश हुई। ... I.P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/10/24 पेश हो। ✓

03/09/2021 वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रतिवादी सं.2 उपस्थित आये। आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 14/9/2024 को पेश हो।

14/9/2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी सं. 2 हिस्सा 1/6 का खातेदार है। न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु सहमति दी गई थी किन्तु विभाजन प्रस्ताव अकेले वादी के हिस्से का ही प्रस्तावित किया है। मेरे हिस्से का विभाजन नही किया गया है। अतः मेरे हिस्से का भी वादी गोकुल के दक्षिणी दिशा में नक्शा ट्रेस में तरमीम करके विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

वकील अप्रार्थी/ वादी ने कथन किया कि मेरे द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह मेरे हिस्से के अलग से विभाजन बाबत पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 2 को भी अपने हिस्से का विभाजन करवाना था तो वह या तो काउन्टर वाद पेश करता या प्राथमिक डिक्री जारी हुई जब न्यायालय से अपने हिस्से का भी विभाजन करने हेतु निवेदन करता। किन्तु प्रतिवादी सं. 2 द्वारा ऐसा नही किया गया। अब जब मेरे हिस्से का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है उससे प्रतिवादी सं. 2 को कोई आपत्ति नही है किन्तु अब प्रकरण को देरी करने के आशय से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जावें।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner